न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी —श्री रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सं. 74 / 2025
अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अ.

अनवान

प्रार्थीगण — 1. मदरूपा राम पुत्र माला राम जाति भील निवासी गोमरख धाम (तारातरा मठ) तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण — 1. दुरगा 2. पता पि. माला 3. कोंकू पत्नी माला 4. गोरखा 5. रेखा पि. जलाल 6. गुलाबी पत्नी जलाल 7. कनकोंदेवी पत्नी श्रवणराम 8. लूणा पुत्र डाऊ 9. समदा पत्नी डाऊ जाति भील निवासी गोमरख धाम (तारातरा मठ) तहसील चौहटन 10. माना पुत्र हमीरा फौत के का. मुकाम 10/1. मोरू पुत्री माना पत्नी ईशराराम जाति भील निवासी चाडी तहसील रामसर 10/2. प्रेमी पुत्री माना पत्नी रूपाराम जाति भील निवासी लुणु तहसील बाड़मेर 10/3. मूली पुत्री माना पत्नी जोगाराम जाति भील निवासी दुहड़ा आटी तहसील बाड़मेर 11. तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण — प्रार्थी वकील — श्री शाकर खान एच
विप्रार्थीगण वकील — श्री आईदानराम गोदारा

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 11.11.2025

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा गोमरख धाम (तारातरा) तहसील चौहटन के खेत खसरा नम्बर 8 रकबा 21.5616 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि पर प्रार्थी का कब्जा—काश्त है तथा प्रार्थी की रहवासी ढाणिया, पशुबाडे आदि अपने की भूमि पर बने हुए है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम सही नही है, सही नाम मदरूपा राम है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.31 15:05:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

ज़बकि प्रार्थी को स्थानीय बोलचाल में दोहरे नाम अर्जुन कहकर भी पुकारते थे इसलिए प्रार्थी का उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम अर्जुन दर्ज हो गया। प्रार्थी के पहचान दस्तावेजों व बच्चों के शैक्षणिक दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम मदरूपा राम दर्ज है।

राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को अपने राजस्व संबंधी समस्त कार्य करने मे काफी परेशानिया आ रही है। प्रार्थी अपना नाम अर्जुन की जगह सही नाम मदरूपा राम शुद्ध करवाने हेतु यह राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के तहत श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण सं. 1 से 10 की ओर से श्री आईदानराम गोदारा उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार चौहटन से नाम दुरस्ती की रिपोर्ट मंगवाई गई। प्रार्थी के नाम दुरस्ती की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार चौहटन द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम अर्जुन के स्थान पर सही नाम मदरूपा राम दुरूस्त किये जाने बाबत् अनुशंषा की गई।

पत्रावली पेश हुई। विप्रार्थी सं. 1 से 10 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में जवाब पेश नही करने बाबत् निवेदन किया जिस पर विप्रार्थीगण का जवाब बंद किया गया। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के वकील की बहस सुनी गई। मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने योग्य है।

अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर तहसील चौहटन मौजा गोमरख धाम (तारातरा मठ) के खसरा सं. 8 रकबा 21.5616 में दर्ज अर्जुन के स्थान पर मदरूपा राम दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.31 15:05:49 IST
Reason: SelfAttested